सं.प्रशा./1025/हि.क./पुस्तकालय/2016-17
र.ले.प्र.नि.(म.क.) लखनऊ
दिनांक 19 अक्टूबर 2016

परिपत्र

विषय : हिन्दी कक्ष के पुस्तकालय से निर्गत पुस्तकों को वापस किया जाना ।

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचनीय है कि प्रधान नियंत्रक महोदय द्वारा हिंदी कक्ष के पुस्तकालय को और अधिक समृद्ध और विकसित करने का निर्णय लिया गया है । इसी क्रम में हिंदी कक्ष के पुस्तकालय को अब हिंदी कक्ष के सामने वाले कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है । नियंत्रक महोदय के आदेशानुसार हिन्दी कक्ष के पुस्तकालय का अतिशीघ्र स्टॉक टेकिंग किया जाना है । अत: उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से, जिन्होंने पुस्तक वापस करने की नियत अवधि समाप्त होने के बाद भी हिन्दी कक्ष के पुस्तकालय में पुस्तक वापस नहीं किया है , अनुरोध है कि उन्हें निर्गत पुस्तकों को दिनांक 25/10/16......तक वापस करने का कष्ट करें ताकि स्टॉक टेकिंग का कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके । अन्यथा की स्थिति में प्रधान नियंत्रक महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय नियम पुस्तक भाग-दो, खण्ड-1 के अनुच्छेद -68 के तहत पुस्तक की कीमत की पाँच गुनी राशि आपसे वसूल की जा सकती है ।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि पुस्तकालय के पुस्तकों के निर्गत करने का समय **अपराह्न 03:00 बजे से 4:00 बजे तक** निर्धारित किया गया है । एक बार निर्गत की गयी पुस्तक को निर्गम तिथी से 3 दिनों के अन्दर वापस करना अनिवार्य होगा ताकि अन्य कर्मचारीगण भी इसका समुचित लाभ उठा सकें ।

कृपया इसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लाया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(हस्ताक्षर) 19/10/16
व.लेखाधिकारी (हिन्दी)

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सभी वर्गाधिकारी (मुख्य कार्यालय)
2. प्रभारी अधिकारी (मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग)
3. स्वचलन कक्ष – (स्थानीय) ....कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

Email – pcdacclkohindicell@gmail.com